उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

सेवाकाल में दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों की उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

संख्याःपीआरपीबी–दो–1(7)/2016 दिनांकःमार्च 4, 2016

1– सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 2030/6–पु0–1–15–213/2015 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः 18/ए–1(124)–2013 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 में दी गयी प्रकिया के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस वेतनमान–पे बैण्ड–9300–34800 व ग्रेड पे–4200 के कुल 105 पदों पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित 417 पुरूष/महिला अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में भर्ती किये जाने हेतु, उनकी दक्षता मूल्यांकन परीक्षा 06 अप्रैल, 2016 को लखनऊ में आयोजित की जायेगी।

2– दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के प्रवेश–पत्र बोर्ड की वेबसाइट http:// uppbpb.gov.in पर दिनांक 16–03–2016 से उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त करेंगे।

3– दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के अन्तर्गत सभी पुरूष/महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता के मूल्यांकन हेतु उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा(प्रथम संशोधन) नियमावली–2015 में उप निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रकिया एवं मानकों के अनुरूप उनसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे।

यदि दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल 105 रिक्तियों की संख्या के कम या बराबर होगी तो इन सभी अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनायी

जायेगी। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

4— यदि दक्षता मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में इस पद पर भर्ती किये जाने वाले पदों की संख्या से अधिक है तो उन सभी अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जायेगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एवं इस परीक्षा में कोई अर्हकारी अंक नहीं होंगे। यह परीक्षा 400 अंकों की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी/सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता/तार्किक परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के श्रेष्ठताक्रम के अनुसार एक सूची (मेरिट लिस्ट) बनायी जायेगी। यदि इस श्रेष्ठता सूची में दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो उस दशा में उनकी वरीयता इस पद की सेवा नियमावली में अधिमानी अर्हता के दिये गये क्रम, अधिक आयु व अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के क्रम के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

5— इस श्रेष्ठता सूची में से श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती की जाने वाले पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची बनायी जायेगी। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जायेगा। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी जो इनकी नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। प्रेषित की गयी यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

9/12

अपर सचिव (प्रोन्नति)

उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ।